इस पीठ को सुशोभित कर रही हैं। लेकिन मुझे आशा है कि शायद यही पंद्रहवीं लोक सभा महिला प्रतिनिधित्व के असंतुलन को भी खत्म करेगी। इस आशा को मैं आज यहां प्रकट करना चाहती हूं। ....*(व्यवधान)* पहले भी नेता प्रतिपक्ष महिलाएं रही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी बहुत साल तक इधर इसी सीट पर बैठी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं। अध्यक्षा जी, अब मैं इसके साथ इस सदन की परिपक्वता का जिक्र करना चाहूंगी। कितने ही अवसर ऐसे आए हैं जब इस सदन ने परिपक्वता का परिचय दिया है। कई बार तो वयम् पंचाधिकम शतम्, की उक्ति को यहां चरितार्थ किया है। महाभारत का एक चर्चित प्रसंग है। जब एक बार कौरव और पांडव अपने-अपने कैंपों में थे। रात में गंधर्व ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया तो भीम, धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज तो गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। वे आज रात को खत्म हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए और उन्होंने एक श्लोक बोला:

परस्पर: विरोधेतु वयम् पंचच: ते शतम्
परहि परिभवे प्राप्ते वयम् पंचाधिकम शतम्।

इसका अर्थ है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम पांच होते हैं। और वे सौ होते हैं। मगर बाहर का जब कोई आक्रमण करता है तब हम एक सौ पांच होते हैं। आज सुबह अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपने जो तीन जिक्र किए—62, 71 और 75 का, वह अवसर थे जब इस सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष की दीवार ढह गई और यह सदन केवल एक देश के रूप में खड़ा हो गया।

एक दूसरा प्रसंग आया जो चुनौती भरा था। जब हमारे अपने ग्यारह साथी प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के लिए एक स्टींग ऑपरेशन में पकड़े गए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडन्स का तकाजा था कि बिना ट्रायल के उन्हें सजा नहीं दी जाती। लेकिन हम तकनीकियों में नहीं गए। हमने कहा कि देश की आस्था इस सदन में बनी रहे इसलिए तकनीकियों में न जाकर इनका निष्कासन करो। इस सदन ने निष्कासन कर के इस देश की आस्था को बरकरार रखा। यह इस सदन की परिपक्वता है।

इससे भी बड़ी लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अध्यक्षा जी, हमें गर्व है कि आज तक इस सदन में सत्ता का हस्तांतरण कभी गोली या बंदूक से नहीं हुआ, हमेशा वोट से हुआ। मैं उस दृश्य का साक्षी हूं जब एक वोट से यहां सरकार गिरी थी। हम लोग सभा भंग कर चुनाव में गए थे और नया जनादेश लेकर यहां वापस आए थे लेकिन कोई तिकड़म से सरकार जुटाने का हम लोगों ने प्रयत्न नहीं किया था। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पड़ोस में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को देश निकाला दिया गया, फांसी पर लटकाया गया, नजरबंद कर के रखा गया। लेकिन भारत आज कह सकता है कि हमारा मतदाता केवल वोट से सरकार बदलता है कभी भी इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन मुझे दु:ख होता है कि विश्व के इतने निचले पायदानों पर खड़े होने के बावजूद मानवीय मानदंडों में, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानकों में हम विश्व के निचले पायदान पर खड़े हैं।

गरीबी, कुपोषण हमारी समस्या है। लेकिन अगर एक चीज जिसके कारण भारत विश्व में सिर ऊंचा करके खड़ा है, वह है भारत का लोकतंत्र। दुख होता है जब उस लोकतंत्र पर लोग कटाक्ष करते हैं, जब इस संसद में लोग अनास्था प्रकट करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, लोकतंत्र का विकल्प तानाशाही हुआ करता है। लोकतंत्र की कल्पना बिना संसद के नहीं कर सकते और संसद की कल्पना बिना सांसदों के नहीं कर सकते। चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, दोष भी आए हैं व्यवस्था में, विकृतियां भी आई हैं, लेकिन उन विकृतियों का इलाज लोकतंत्र पर प्रहार करना नहीं है। हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठकर उन विकृतियों को दूर करेंगे, उन दोषों का समाधान ढूंढ़ेगे। लेकिन दोषों का समाधान क्या है? एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। वहां एक प्रश्न था— लोकतंत्र की बुराइयों का इलाज क्या है? उत्तर था और ज्यादा लोकतंत्र। आज भारतीय संसद की साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं इसी नोट पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अपने लोकतंत्र की बुराइयों का समाधान करें। लोकतंत्र पर प्रहार करके कोई आत्मघाती कदन न उठाएं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा के सदस्यों और देशवासियों को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देता हूं।

महोदया, लोकसभा भारतीय लोगों की अदभुत विभिन्नता और बुद्धिमता का वास्तविक प्रतिधिनितव करती है। इसके सदस्य प्रत्येक क्षेत्र समुदाय, धर्म और समाज के सभी वर्गों से आते हैं। उनमें

[डॉ. मनमोहन सिंह]

से कुछ सदस्यों ने ओजस्वी वक्ता और कुछ अन्यो ने अपने विवेक की अमिट छाप छोड़ी है। वामपंथी हो अथवा दक्षिणपंथी, सरकार हो अथवा सत्तापक्ष, इस सदन ने सामान्य भारतीयों के दुख-दर्द को वाणी दी है और ऐसे कानून बनाकर जिनसे की हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक आदर्श वास्तविकता में बदले, उन्हें राहत प्रदान की हैं संविधान ने जिसकी कल्पना, संसद ने उसे साकार किया।

महोदया, जैसे ही हम इन वर्षों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें एक संतोष होता है कि यह महान संस्था जो कि प्रभुसत्ता संपन्न लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तव में हमारे गणतंत्र के संस्थापकों द्वारा स्थापित आदर्शों पर खरी उतरी है।

1940 और 1950 के दशकों में साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले एशिया, अफ्रिका और दक्षिण अमरीका के अनेक देश सैनिक तानाशाही अथवा एक दलीय शासन का शिकार हो गए। दूसरी ओर भारत ने अटूट लोकतांत्रिक परंपरा बनाए रखी है जिसमें 15 आम चुनावों और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के अनेक चुनाव हुए हैं।

महोदय, इस महान कक्ष ने हमारे राष्ट्र की विकास गाथा-वाद-विवाद और चर्चा के माध्यम से लिखी है जिसमें आदर्श और यथार्थ दोनों का समावेश था। सभा ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं जिन्होंने हमारी राजव्यवस्था की लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत किया है और राष्ट्र निर्माण के हमारे आदर्शों जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों हेतु समान अवसर और सांस्कृतिक बोध प्राप्त है को प्रोत्साहित किया है।

हाल के ही वर्षों में हमने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और न्यूनतम रोजगार का अधिकार प्रदान कर सशक्त बनाया हैं हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सकारात्मक उपाय किए हैं। परंतु मैं जानता हूं कि यह अधूरा कार्य है।

आपदा और संकट के समय हमारी संसद ने हमारे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को प्रतिबिम्बित करने और लोगों और सरकार के साथ एक जुटता दर्शाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। चाहे वह 1962, 1965, 1999 का विदेशी हमला हो अथवा 1971 के गौरवपूर्ण क्षण इस संस्था ने लोगों की साझा आकांक्षाओं और भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए राजनीतिक विभेद पर विजय प्राप्त की है।

तथापि, यदि हम आगे की ओर देखें तो यह अवसर हमारे लिए कुछ बेबाक और गंभीर आत्म विश्लेषण का भी होना चाहिए। जिस प्रकार हमने विशेषकर गत कुछ वर्षों के दौरान अपना कार्य किया है उससे लोगों में हताशा है और उनका मोह भंग हुआ है। सभा में दिन प्रतिदिन व्यवथान, सीगनों और शोर शराबे ने इस संसीा की प्रभावशालिता और लोक कार्यों में इसके स्थान के बारे में इस संस्था से बाहर कई प्रश्न को जन्म दे रहे हैं।

यदि हमें इस संस्था के गौरव को पुन:स्थापित करना है तो हममें से प्रत्येक को अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों जिसका हमने सामूहिक रूप से विकास किया है का अक्षरश: पालन हो जब तक हम संसद के कार्यकरण में बढ़ते हुए गतिरोध को दूर करने का कोई उपाय नही निकालेगें तब तक जनता को मोहभंग होता रहेगा। राजनैतिक दलों के नेताओं को छोटे बड़े मुद्दों को उठाने के लिए साधनोपाय तलाश करने के लिए एक साथ बैठना होगा और अपने मतभेदों को इस प्रकार से व्यक्त करना होगा जोकि प्रत्येक अवसर पर संसद की कार्यवाही अवरुद्ध नही करता हो।

महोदया, मेरा मानना है कि हमें यह भी दर्शाना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र का कार्य किस प्रकार संचालित करना चाहिए जिसमें हम सब जिम्मेवार भूमिका अदा करते हैं। लोकतंत्र जनादेश की अवधारणा पर आधारित है किंतु इसे लोकलुभावन जनादेश नही समझा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि परिपक्व लोकतंत्र वह है जो विकास की दीर्घकालिक आवश्यकताओं और राजनीति के दैनिक दबावों के बीच संतुलन बनाए रखे। दीर्घकालिक विकास की आवश्यकताओं और वर्तमान चुनावी राजनीति के विरोधी मांगों के बीच अवश्य ही संतुलन स्थापित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

हमारा उस जनता के प्रति पावन और पवित्र दायित्व है जिसने हमें निर्वाचित किया है। आने वाली भावी पीढ़ियों के प्रति भी यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। अत: हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहां आज हमारा आचरण और यहां जो कार्य हम करते हैं राष्ट्र की दिशा का निर्धारण करेगा इसलिए हमें हमेशा में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण और आज हम जिन

कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं वह इस राष्ट्र की दिशा जो हम अपनी अगली पीढ़ियों को विरासत में देंगे का निर्धारण करेगा।

अंत में महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे आशा है कि हमारे लोगों की अंतर्निहित बुद्धिमता और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करेगी ताकि हम एक सुरक्षित और संपन्न भारत का निर्माण कर सकें।

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

अपराह्न 4.29 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जबकि हम संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोक सभा की ऐतिहासिक विशेष बैठक के समापन की ओर अग्रसर है, ''भारतीय संसद की 60 वर्षों की यात्रा'' विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों की उपस्थिति और उनके उत्साह की सराहना करती हूं।

माननीय नेताओं और सदस्यों द्वारा चर्चा में व्यक्त विचारों से कार्यवाही की गरिमा बढ़ी है।

यह ऐसा समय था जबकि 60 वर्ष की हमारी यात्रा प्रतिबिम्बित हुई है और सदन ऐसा करने में सफल रहा है। उन्नति का अर्थ यह कदाचित नहीं है कि हम अतीत की उपलब्धियों की गणना करें और अपनी बहादुरी से संतुष्ट हो अपितु साहस और दृढ़संकल्प से आगामी चुनौतियों का सामना करें। आज की कार्यवाही हमारे दृढ़विश्वास और संकल्प की साक्षी है।

आज की चर्चा जो कि लगभग पांच घंटे सोलह मिनट चली उसमें लगभग 41 सदस्यों ने भाग लिया। लगभग 90 सदस्यों ने सदन के पटल पर अपने लिखित भाषण रखे और वे भाषण सदन की कार्यवाही का हिस्सा होंगे।

मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सदन के नेता, माननीय प्रतिपक्ष की नेता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष संप्रग, माननीय आडवाणी जी, सभी दलों के नेताओं और अध्यक्षपीठ की तालिका में मेरे सहयोगियों का इस विशेष बैठक को अद्वितीय और यादगार बनाने के लिए आभार व्यक्त करती हूं।

अपराह्न 4.30 बजे

संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं निम्नलिखित संकल्प सभा के समक्ष करती हूं:

''हम, लोक सभा के सदस्य, संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोक सभा की विशेष बैठक में भाग लेकर:

- देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान तथा मानव जाति में समानता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा बनाए रखने तथा समाज के वंचित और दलित वर्गों के उत्थान में संविधान के संस्थापक सदस्यों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए;

- लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनवरत रूप से कार्य करने वाले भारत के लोगों की परिपक्वता को संतोष और गर्व के साथ स्वीकार करते हुए; और

- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विगत 60 वर्षों में संसद ने युगान्तकारी कानूनों के माध्यम से सभी मामलों में समानता और न्याय सुनिश्चित करने तथा संविधान की उद्देशिका में अंतर्निहित आदर्शों के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रतिबद्धता के अनुसरण में एक समावेशी समाज की स्थापना की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, और अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है।

एतद् द्वारा अपने संस्थापक सदस्यों द्वारा संजोए गए आदर्शों के प्रति अपनी पूर्ण और अटूट प्रतिबद्धता की सत्यनिष्ठापूर्वक पुन: पुष्टि करते हैं और: